न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय–टोंक

(पीठासीन अधिकारी: जगदीश आर्य, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0— 34 / 2018

प्रतिष्टि दिनांक —07.09.2018

उनवान

1. हरिसिंह पुत्र बलवान जाति जाट निवासी ग्राम देवली भांची तहसील व जिला टोंक
2. ऋषिराज पुत्र बलवान जाति जाट निवासी ग्राम देवली भांची तहसील व जिला टोंक

– वादिगण

बनाम

1. बलवान पुत्र रामगोपाल दत्तक पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम देवली भांची तहसील व जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार साहब तहसील व जिला टोंक राज0
3. अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सोहेला जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री रोतराम चौधरी –वकील वादी

दावा बाबत उद्घोषणा, व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :– 17.06.2019

वादीगण के वादपत्र का सार इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नम्बरान 10 / 4, 100, 103, 104, 114, 114 / 691, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 357 वाके ग्राम देवली तहसील व जिला टोंक में स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में अंकित है। वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है, जो प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के दादाजी राधाकिशन पुत्र जीवा जाट की मृत्यु के पश्चात विरासत में प्राप्त हुई है, इस प्रकार उक्त आराजी पक्षकारों की पुश्तैनी आराजीयात हैं। उक्त आराजी राधाकिशन पुत्र जीवा जाट के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा वादीगण के दादाजी राधाकिशन की मृत्यु के उपरांत उक्त आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादीसंख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है, इस प्रकार वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें उनका जन्म से ही हक व हिस्सा है। हिन्दू विधि के अनुसार दादा से प्राप्त सम्पत्ति में पोतो व पोतीयों का जन्म से ही हक व अधिकार होता है तथा इस सम्पत्ति पर भी वादीगण का 2 / 3 हिस्से पर हक व अधिकार है तथा अपने हिस्से पर मौके पर काबिज होकर फसल काश्त कर अपना जीवन यापन करते है। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम होने से प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम होने से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द व हस्तांतरित करने पर आमादा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का गलत व नाजायज फायदा उठाकर उक्त सम्पूर्ण आराजी को हस्तांतरित करने पर आमदा है। जिसको उसे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है तथा बिना वैध आवश्यकता के वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी को अन्तरित करने पर वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। वादीगण ही प्रतिवादी संख्या 1 के प्रथम श्रेणी के वारित एवं उत्तराधिकारी है, वादीगण के अलावा अन्य कोई व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 का वारिस व उत्तराधिकारी नही है, इसलिए वादीगण को ही यह दावा प्रस्तुत करने का हक व अधिकार है तथा उक्त आराजी 2 / 3 हिस्से का वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। उक्त आराजी पुश्तैनी आराजीया है, जिस पर वादीगण जन्म से हक व हिस्से है तथा वादीगण अपने हक व हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 के बराबर काबिज होकर

सहायक कलेक्टर
मुख्यालय टोंक

Scanned by CamScanner

फसल काश्त करते है, इसलिए वादीगण को उक्त आराजी के 2/3 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

वादीगण ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए दस्तावेज के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 वाके ग्राम देवली एंव जमाबन्दी खतोनी संवत 2028–47 पेश की गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से इसबालिया जवाब दावा पेश किया गया।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–1 अपनी सहमति से वादीगण को उनके हिस्से 1/3–1/3 की भूमि देने के लिए सहमत है। वादवादीगण प्रतिवादी की सहमति होने से स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु पंजीयन शुल्क की हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए नियमानुसार पंजियन शुल्क अदा करने की स्थिति में प्रतिवादी की खातेदारी भूमि में से वादीगण को उनके हक व हिस्से की भूमि 1/3–1/3 हिस्सा अंकित करने हेतु दावा डिक्री किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः वादवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 10/4, 100, 103, 104, 114, 114/691, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 357 वाके ग्राम देवली तहसील व जिला टोंक में प्रतिवादी की सहमति से वादीगण को हिस्सा 1/3–1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक वादीगण से भूमि हस्तातरण का नियमानुसार पंजियन शुल्क अदा किये जाने पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज **दिनांक** 17.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर,
मुख्यालय–टोंक,

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलेक्टर मुख्यालय–टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री जगदीश आर्य आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

1. हरिसिंह पुत्र बलवान जाति जाट निवासी ग्राम देवली भांची तहसील व जिला टोंक
2. ऋषिराज पुत्र बलवान जाति जाट निवासी ग्राम देवली भांची तहसील व जिला टोंक

– वादिगण

बनाम

1. बलवान पुत्र रामगोपाल दत्तक पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम देवली भांची तहसील व जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार साहब तहसील व जिला टोंक राज0
3. अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सोहेला जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण

दावा–उदघोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण सं0– 34/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **सहायक कलेक्टर मुख्यालय–टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 10/4, 100, 103, 104, 114, 114/691, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 357 वाके ग्राम देवली तहसील व जिला टोंक में प्रतिवादी की सहमति से वादीगण को हिस्सा 1/3–1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक वादीगण से भूमि हस्तातरण का नियमानुसार पंजियन शुल्क अदा किये जाने पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख ..... को जारी किया गया।

(जगदीश आर्य)
सहायक कलेक्टर,
मुख्यालय टोंक

मोहर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीशान			मिजान		

नोट–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner